मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

फ्लैट के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

Self Attested Passport Size Photograph of Applicant

आवेदन पत्र सं० ________ स्कीम कोड | 1 | 2 | 6 |

1. स्कीम का नाम : ट्रांसपोर्ट नगर फेज–2
2. फ्लैट का प्रकार : एल.आई.जी
3. नाम श्री / सुश्री / सर्वश्री (एकल या प्रथम)
4. पत्र व्यवहार का पता
5. यदि आरक्षण श्रेणी में आते है तो आरक्षण श्रेणी का विवरण भरें।
6. वार्षिक आय 7. आयु 8. लिंग 9. वैवाहिक स्तर
10. पिता / पति का नाम नाम श्री / सुश्री / सर्वश्री
11. स्थायी पता
12. बैंक का नाम, शाखा एवं खाता संख्या आर.टी.जी.एस / एन.ई.एफ.टी / आई.एफ.सी.कोड
13. पैन कार्ड नं
14. मोबाईल
15. ई–मेल : ....
16. यदि प्रधानमंत्री आवास योजना मे चयानित है तो पंजीकृत संख्या : ....
17. संलग्नक 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....
18. नामांकित व्यक्ति का नाम ....

नोटः आवेदक द्वारा फ्लैट आवंटन के उपरान्त तत्काल :**Pan** कार्ड की प्रति, वर्तमान पता का **(Address)** साक्ष्य, अपना पहचान पत्र, आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अपने खाते का एक कैंसिल चैक तथा अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराने होंगे शेष नियम एवं शर्ते ब्रोशर के अनुसार प्रभावी होंगी।

आवेदक (को) के हस्ताक्षर

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

फ्लैट के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

Self Attested Passport Size Photograph of Applicant

आवेदन पत्र सं० ________ स्कीम कोड | 1 | 2 | 6 |

1. स्कीम का नाम : ट्रांसपोर्ट नगर फेज–2
2. फ्लैट का प्रकार : एल.आई.जी
3. नाम श्री / सुश्री / सर्वश्री (एकल या प्रथम)
4. पत्र व्यवहार का पता
5. यदि आरक्षण श्रेणी में आते है तो आरक्षण श्रेणी का विवरण भरें।
6. वार्षिक आय 7. आयु 8. लिंग 9. वैवाहिक स्तर
10. पिता / पति का नाम नाम श्री / सुश्री / सर्वश्री
11. स्थायी पता
12. बैंक का नाम, शाखा एवं खाता संख्या आर.टी.जी.एस / एन.ई.एफ.टी / आई.एफ.सी.कोड
13. पैन कार्ड नं
14. मोबाईल
15. ई–मेल : ....
16. यदि प्रधानमंत्री आवास योजना मे चयानित है तो पंजीकृत संख्या : ....
17. संलग्नक 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....
18. नामांकित व्यक्ति का नाम ....

नोटः आवेदक द्वारा फ्लैट आवंटन के उपरान्त तत्काल :**Pan** कार्ड की प्रति, वर्तमान पता का **(Address)** साक्ष्य, अपना पहचान पत्र, आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अपने खाते का एक कैंसिल चैक तथा अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराने होंगे शेष नियम एवं शर्ते ब्रोशर के अनुसार प्रभावी होंगी।

आवेदक (को) के हस्ताक्षर

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

फ्लैट के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

Self Attested Passport Size Photograph of Applicant

आवेदन पत्र सं० ________ स्कीम कोड | 1 | 2 | 6 |

1. स्कीम का नाम : ट्रांसपोर्ट नगर फेज–2
2. फ्लैट का प्रकार : एल.आई.जी
3. नाम श्री / सुश्री / सर्वश्री (एकल या प्रथम)
4. पत्र व्यवहार का पता
5. यदि आरक्षण श्रेणी में आते है तो आरक्षण श्रेणी का विवरण भरें।
6. वार्षिक आय 7. आयु 8. लिंग 9. वैवाहिक स्तर
10. पिता / पति का नाम नाम श्री / सुश्री / सर्वश्री
11. स्थायी पता
12. बैंक का नाम, शाखा एवं खाता संख्या आर.टी.जी.एस / एन.ई.एफ.टी / आई.एफ.सी.कोड
13. पैन कार्ड नं
14. मोबाईल
15. ई–मेल : ....
16. यदि प्रधानमंत्री आवास योजना मे चयानित है तो पंजीकृत संख्या : ....
17. संलग्नक 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....
18. नामांकित व्यक्ति का नाम ....

नोटः आवेदक द्वारा फ्लैट आवंटन के उपरान्त तत्काल :**Pan** कार्ड की प्रति, वर्तमान पता का **(Address)** साक्ष्य, अपना पहचान पत्र, आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अपने खाते का एक कैंसिल चैक तथा अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराने होंगे शेष नियम एवं शर्ते ब्रोशर के अनुसार प्रभावी होंगी।

आवेदक (को) के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

ट्रांसपोर्ट नगर फेज–II, सहारनपुर रोड, देहरादून।

मै/हम .... पुत्र/पुत्री/पत्नी..

निवासी–..

निम्नलिखित घोषणा करता/करती/करते/हूँ/हैं।

1. यह कि मेरे/हमारे द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर फेज–II आवासीय योजना में अपना पंजीकरण एल.आई.जी. में कराया गया है।

2. मेरी/हमारी वार्षिक आय वर्ष 2017–18 में रू0 ....हैं।

3. मेरी/हमारी आयु दिनांक 01 जनवरी 2018 को ....वर्ष एवं.........................माह है एवं मैं/हम भारत का/की/के नागरिक हूँ/हैं।

4. मैंने/हमने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की योजना से सम्बन्धित नियमों एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ व समझ लिया है एवं मैं/हम उनका पालन करने हेतु वचनबद्ध(हूँ/हैं।

5. यह कि योजना में फ्लैट के आवंटन उपरान्त मेरे/हमारे द्वारा आरक्षण प्रमाण पत्र (यदि आरक्षण कोटे में आवेदन किया है), पैन कार्ड की प्रति, वर्तमान पता, पहचान पत्र, एवं अपने बैंक खाते का केन्सिल चैक प्राधिकरण कार्यालय में तत्काल जमा करवा दूंगा/दूंगी। जमा न करने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा आंवटन करते हुए जो कटौतियॉ की जायेगी वह मुझे/हमें स्वीकार होंगी।

6. भूमि अर्जन में न्यायालय के आदेश द्वारा अन्य किसी न्यायिक प्रकिया में अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि आवंटित फ्लैट के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं/हम प्राधिकरण के आदेशों/नियमों के अनुसार पालन करूंगा/करूंगी/करेंगें।

7. मैं/हम समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगें। यदि मेरे/हमारे द्वारा कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण नियमानुसार मेरा/हमारा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे/हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. यदि मैं/हम फ्लैट का आवंटन स्वीकार नही करता/करती हूँ/करते हैं अथवा आवंटन निरस्त कर दिया जाता है, तो प्राधिकरण के नियमों के अधीन की गई कटौतियों को मैं/हम स्वीकार करूंगा/करूंगी/करेंगें।

9. आवंटित फ्लैट का निर्माण एवं फ्लैट का निर्माण पूर्ण होने पर प्राधिकरण द्वारा आंकलित विक्रय मूल्य मुझे/हमें स्वीकार होगा तथा मुझे/हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

10. आवंटी द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/विभिन्न अन्य निकायों से सम्बन्धित देय कब्जे से पूर्व एवं कब्जा उपरान्त निर्धारित प्राविधानों के अनुसार देय सभी करों का भुगतान स्वयं करूगा/करूगी।

11. वाद विवाद हेतु देहरादून स्थित न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा। जिसके लिए आवेदक/आवंटी वचनबद्ध रहेगा।

घोषणाकर्ता (ओं) के हस्ताक्षर

घोषणा :–

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तर 1 से 11 तक दी गयी सूचना मेरे/हमारे पूर्ण ज्ञान व निजी जानकारी में सत्य हैं, और कुछ भी छिपाया नही गया है।

घोषणाकर्ता (ओं) के हस्ताक्षर